

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग—नौटी—किरसाल मोटर मार्ग में खेत गधेरे से खेती जखेट चौरासैंण तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.050 हेठले वन पंचायत भूमि, सिविल वन भूमि 0.210 हेठले एवं मकड़िस्पोजल हेतु 0.150 कुल 1.410 हेठले वन पंचायत भूमि / सिविल वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

गौचर

सहायक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

गौचर

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

गौचर

वन के अधिकारी
धनपुर वन बोर्ड (एनोवा)

उप वन संरक्षक
केवारनाथ दत्त जीव प्रशासन
प्रभागीय वनाधिकारी